

पूर्व मध्य रेल
East Central Railway
अधिसूचना

कार्यालय
मंत्रेप्र/कार्मिक/सोनपुर
दिनांक-03.03.2025

संख्या:-का/227/09/चिकित्सा/सीएल/10/08/सोन

विषय:- सोनपुर मंडल पर मासिक पारिश्रमिक के आधार पर पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से रेल सेवा से सेवानिवृत्त पारा मेडिकल कर्मचारियों का चिकित्सा विभाग/सोनपुर में अस्थायी रूप से पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ- 1. रेलवे बोर्ड का आरबीई 59/2024 एवं पत्रांक E(NG)II/2005/RC-4/SC/2 Pt.I दिनांक 28.06.2024
2. मुचिधी/सोनपुर का पत्रांक एच.ई./2023-24/अराज/सामान्य पत्राचार दिनांक 18.02.2025

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)II/2005/RC-4/SC/2Pt.I dated 28.06.2024 के निर्देशानुसार पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से रेल सेवा से सेवानिवृत्त पारा मेडिकल कर्मचारियों से सोनपुर मंडल के चिकित्सा विभाग के निम्नलिखित पदों को मासिक पारिश्रमिक के आधार पर दिनांक 30.06.2025 तक पुनर्नियोजन (Re-engagement) करने का निर्णय लिया गया है:-

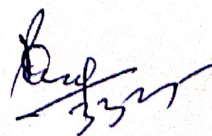
अधिसूचना हेतु पद:-

क्र.सं०	पद का नाम	पदों की संख्या
1	Physiotherapists	01

पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से सेवानिवृत्त वैसे कर्मचारी जो निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों को पूरा करते हों, से अनुलग्नक-‘ए’ प्रोफार्मा के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है:-

पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता की शर्तें नीचे दी गई हैं:-

1. चिकित्सा विभाग से सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी जो पहले से ही उस विशिष्ट पद पर काम कर चुके हैं, जिसके लिए आवेदन किया गया है।
2. वैसे कर्मचारी जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त/पदच्युत या सेवा से बर्खास्त किये गये हो और संरक्षा संबंधित सेवानिवृत्त योजना स्वैच्छिक (SRSS)/संरक्षा कोटियों पर लागू उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति योजना (LARGESS) के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए हों, वैसे कर्मचारी आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
3. आवेदित पद के लिए निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में फिट पाये जाने पर ही अंतिम रूप से पुनर्नियोजित किया जाएगा।
4. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।
5. पुनर्नियोजित किये गये कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक का निर्धारण उसके/उसकी अंतिम आहरित वेतन (अर्थात् Basic Pay+DA) से पेंशन राशि घटाकर की जाएगी तथा वार्षिक वेतन वृद्धि/मेंहगाई भत्ता/एचआरए देय नहीं होगा।
6. निवास और कार्यस्थल के बीच आवागमन के प्रयोजन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और सुनिश्चित राशि की अनुमति दी जाएगी जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति पर लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।
7. सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिन की दर से सवैतनिक अनुपस्थिति अवकाश की अनुमति दी जा सकती है।
8. सेवानिवृत्त कर्मचारी का पुनर्नियोजन हेतु उपयुक्तता का निर्धारण नामित समिति द्वारा उनके पुनर्नियोजन से पहले व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
9. आरआरबी/आरआरसी से चयनित उम्मीदवार या स्थानांतरण/पदोन्नति पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने पर पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा।
10. प्रशासन पुनर्नियोजित कर्मियों की सेवा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि उनका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय सेवा समाप्त किया जा सकता है।
11. पुनर्नियोजित कर्मचारियों के काम के घंटे नियमित कर्मचारियों के समान ही होंगे।
12. पुनर्नियोजन की अवधि को किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा जैसा कि नियमित सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है।
13. कर्मचारियों का पुनर्नियोजन पीएलबी या किसी अन्य अतिरिक्त लाभ के लिए नियमानुसार पात्र नहीं होंगे।
14. पुनर्नियोजित कर्मचारियों को ईसीए, पीडब्लूए, भुगतान के तहत किसी भी कवर के लिए कवर नहीं किया जाएगा।
15. ग्रैज्युटी अधिनियम या रेलवे सेवा के लिए स्वीकार्य कोई अन्य वैधानियक अधिनियम पुनर्नियोजित कर्मचारी पर लागू नहीं होगा।



16. पुनर्नियोजित कर्मचारी किसी भी कल्याण योजना अर्थात सीजीए के अंतर्गत कवर नहीं होंगे।
17. पुनर्नियोजित कर्मचारी नियमित कर्मचारी की तरह स्वीकार्य किसी भी अग्रिम के हकदार नहीं होंगे।
18. यदि पुनर्नियोजित कर्मचारी के कारण रेल प्रशासन को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति होती है, तो यह राशि उस कर्मचारी को रेलवे खाते में जमा करना होगा अन्यथा इसे देय पेंशन रिलिफ से समायोजित कर लिया जाएगा।
19. पुनर्नियोजित कर्मचारियों से Cash Handling का कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा।
20. किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता, कर्तव्यों के प्रति शिथिलता तथा आचरण नियम के उल्लंघन के दोषी पाये जाने पर बिना किसी नोटिस, show cause या explanation के इनकी सेवा को समाप्त किया जा सकता है।
21. पुनर्नियोजित कर्मचारी इस बात का स्मरण रखेंगे की आपकी पुनर्नियोजन पूर्णतः अस्थायी है।
22. पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी समस्त विनिर्दिष्ट नियम पुनर्नियोजित कर्मचारी पर लागू होंगे तथा भविष्य में भी समय-समय पर पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नियमों-उपनियमों के तहत आपकी पुनर्नियोजन संचालित होगी एवं आप इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे।
23. चयनित कर्मचारियों को उनके संबंधित शाखा अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा उनके लिए निर्धारित कार्यों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
24. आरआरबी/आरआरसी से चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति होने या नियमित पोस्टिंग पर कर्मचारियों को स्थानांतरण/पदोन्नति पर या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, या पद अभ्यर्पण के कारण या जनशक्ति नियोजन के कारण प्रशासन को सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, या 30.06.2025 को, जो भी पहले हो, पुनर्नियोजित कर्मचारियों को सेवा में निरंतरता का अधिकार नहीं होगा।

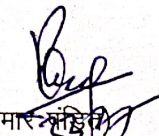
आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वःअभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए:-

1. सेवा प्रमाण पत्र
2. पेंशन पहचान पत्र
3. पेंशन भुगतान आदेश
4. अंतिम वेतन पर्ची
5. बैंक पासबुक की छायाप्रति
6. नवीनतम दो पासपोर्ट साईज फोटो
7. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति
8. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता की छायाप्रति

अतः पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलो/यूनिटो से सेवानिवृत्त वैसे कर्मचारी जो उपरोक्त सभी नियमों एवं शर्तों को पूरा करते हो एवं सहमत हो तो वे अपना आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा अनुलग्नक-‘ए’ के माध्यम से सभी संबंधित प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दिनांक:-24.03.2025 तक मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) कार्यालय/सोनपुर के सिंगल विंडो सिस्टम (SWS) में किसी भी माध्यम से आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। आवेदित लिफाफा पर सबसे उपर में “ पारा मेडिकल पद पर पुनर्नियोजन हेतु आवेदित पद ” का उल्लेख करते हुए आवेदन दे सकते हैं। दिनांक:-24.03.2025 के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन भेजने का पता:-

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) कार्यालय
सिंगल विंडो सिस्टम (SWS) पूर्व मध्य रेल, सोनपुर
बिहार-841101


(रवि कुमार)
सहायक कार्मिक अधिकारी-III
कृते मरेप्र (कार्मिक)/सोनपुर

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महाप्रबंधक (कार्मिक)/सर्तकता/पूमरे/हाजीपुर
2. मरेप्र/सोनपुर के निजी सचिव - मरेप्र महोदय के सादर सूचनार्थ
3. अमरेप्र/सोनपुर
4. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी/पूमरे/हाजीपुर
5. मरेप्र(कार्मिक)/समस्तीपुर, दानापुर, धनबाद एवं दीनदयाल उपाध्याय मंडल/पूर्व मध्य रेल
6. सभी शाखाधिकारी/पूमरे/सोनपुर
7. सूचना पट्ट सोनपुर
8. भर्ती अनुभाग, समापक, बिल अनुभाग एवं सभी कर्मचारी कल्याण निरीक्षक
9. मंडल मंत्री/ईसीआरईयू, ओबीसी, अजा-अजजा एशो/सोनपुर मंडल।

पूर्व मध्य रेलवे

(सोनपुर मंडल- कार्मिक विभाग)

पूरे से रेल सेवा से सेवानिवृत्त पारा मेडिकल कर्मचारियों के चिकित्सा विभाग/सोनपुर में पुनर्नियोजन हेतु आवेदन।
(अधिसूचना सं०:का/227/09/चिकित्सा/सीएल/10/08/सोन दिनांक - 03.03.2025)

सेवा में,

मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
पूर्व मध्य रेल सोनपुर
पिन न० - 841101

मैं पूर्व मध्य रेल के सोनपुर मंडल में उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा विभाग/सोनपुर में दिनांक:30.06.2025 तक पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करता/करती हूँ। मेरा सेवा विवरण निम्नवत् है-

1. नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. सेवा निवृत्ति के समय धारित पद :
4. किस मंडल/विभाग/यूनिट :
5. जन्म तिथि :
6. नियुक्ति तिथि :
7. सेवानिवृत्ति तिथि :
8. शैक्षणिक योग्यता :
9. पे बैंड + ग्रेड पे/पे लेवल (सेवानिवृत्ति के समय):
10. आवेदित कोटि/पद पर की गई सेवा अवधि :
11. यदि सामान्य सेवा निवृत्ति के अलावे सेवानिवृत्त हुए हैं तो निम्न पर चिन्ह लगायें :

Self-attested
photograph of
retd. Railway
employee(Sign
across the photo)

Voluntary Retirement	Compulsory retirement Dismissal Removal	LARSGESS/SRSS	Other Any Reason

18. पत्राचार का पता :
19. मोबाईल नम्बर : 1..... 2.....
20. अंतिम आहरित मूल वेतन एवं वेतन बैंड
21. बेसिक पेंशन
22. पी.पी.ओ नम्बर
23. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :
 - (i) सेवा पुस्तिका :
 - (ii) पेंशन पहचान पत्र :
 - (iii) अंतिम वेतन पर्ची :
 - (iv) बैंक पासबुक की छायाप्रति :
 - (v) नवीनतम दो पासपोर्ट साईज फोटो :
 - (vi) आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति :
 - (vii) शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता की छायाप्रति :

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं। यदि किसी प्रकार की गलत सूचना पाया जाता है तो मैं दण्डात्मक कार्यवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि अधिसूचना में दिए गये निर्धारित नियमों एवं शर्तों को निष्ठापूर्वक पालन करूंगा/करूंगी। मैं SRSS/LARSGESS एवं Medical unit for all categories के सेवा निवृत्त नहीं हुआ हूँ।

दिनांक :

स्थान :

सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी का हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

मो०न०

पूर्व मध्य रेल
East Central Railway

संख्या:-का/227/09/चिकित्सा/सीएल/10/08/सोन
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी,
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर

कार्यालय
मंरेप्र/कार्मिक/सोनपुर
दिनांक-03.03.2025

विषय:-सोनपुर मंडल पर मासिक पारिश्रमिक के आधार पर पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से रेल सेवा से सेवानिवृत्त पारा मेडिकल कर्मचारियों का चिकित्सा विभाग/सोनपुर में अस्थायी रूप से दिनांक: 30.06.2025 तक पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ- रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)II/2005/RC-4/SC/2Pt.I dated 28-06-2024

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)II/2005/RC-4/SC/2Pt.I 28.06.2024 के निर्देशानुसार पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से रेल सेवा से सेवानिवृत्त पारा मेडिकल कर्मचारियों से सोनपुर मंडल के चिकित्सा विभाग में निम्नलिखित पदों के विरुद्ध मासिक पारिश्रमिक के आधार पर दिनांक 30.06.2025 तक पुनर्नियोजन (Re-engagement) करने का निर्णय लिया गया है-

क्रं सं०	पद का नाम	पदों की संख्या
1	Physiotherapist	01

पूर्व मध्य रेल से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण पुनर्नियोजन हेतु अपना आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा अनुलग्नक-ए के माध्यम से सभी संबंधित प्रपत्रों के साथ संगलन कर दिनांक:24.03.2025 तक मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) कार्यालय/सोनपुर के सिंगल विडों सिस्टम (SWS) में किसी भी माध्यम से आवेदन प्रेषित करेंगे, जिसमें लिफाफा पर सबसे उपर में " पुनर्नियोजन हेतु आवेदित पद " का उल्लेख करते हुए आवेदन दे सकते हैं। दिनांक:-24.03.2025 के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए सोनपुर मंडल के द्वारा जारी विस्तृत अधिसूचना दिनांक: 03.2025 का अवलोकन पूर्व मध्य रेल के अधिकृत वेबसाइट www.ecr.indianrailways.gov.in(click Division>Sonpur>personnel>Notification) पर एवं मंडल रेल प्रबंधक/पूर्व मध्य रेल सोनपुर के सूचना पट्ट पर भी अवलोकन किया जा सकता है।

अधिसूचना को स्थानीय दैनिक अखबार में प्रकाशित किये जाने हेतु अलग से संक्षिप्त रूप से अधिसूचना की प्रति संलग्न किया जाता है।

9. अधिसूचना दिनांक: 16.03.2025 तक या इसके पूर्व हिन्दी दैनिक अखबार में प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है।

10. अधिसूचना की हिन्दी प्रति संलग्न की जाती है।

11. अधिसूचना प्रकाशन का व्यय लेखाशीर्ष संख्या:11-215-21 से किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न अधिसूचना को स्थानीय अखबार में प्रकाशित किये जाने का व्यवस्था किया जाए।

संलग्नक: यथोपरी।

(रवि कुमार मंडित)
सहायक कार्मिक अधिकारी-III
कृते मंरेप्र (कार्मिक)/सोनपुर

संक्षिप्त अधिसूचना

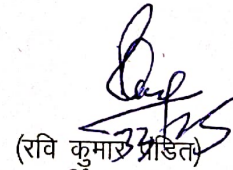
पूर्व मध्य रेल, सोनपुर मंडल

सोनपुर मंडल पर मासिक पारिश्रमिक के आधार पर पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से सेवानिवृत्त पारा मेडिकल कर्मचारियों का मंडल चिकित्सालय/सोनपुर में अस्थायी रूप से पुनर्नियोजन किये जाने हेतु संक्षिप्त अधिसूचना।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)II/2005/RC-4/SC/2Pt.I 28.06.2024 के निर्देशानुसार सोनपुर मंडल के मंडल चिकित्सालय/सोनपुर के निम्नलिखित पदों के विरुद्ध पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से सेवानिवृत्त पारा मेडिकल कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियोजन (Re-engagement) करने का निर्णय लिया गया है:-

क्रं सं०	पद का नाम	पदों की संख्या
1	Physiotherapist	01

- पुनर्नियोजन की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। कोई भी पुनर्नियोजन कर्मचारी 65 वर्ष की आयु से अधिक सेवा नहीं कर सकेंगे। केवल वही सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं, जिनकी उम्र अधिसूचना जारी होने की तिथि को 64 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- आवेदन कैसे करें:- आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा अनुलग्नक-‘ए’ के माध्यम से सभी संबंधित प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दिनांक 24.03.2025 तक मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक) कार्यालय/सोनपुर के सिंगल विंडो सिस्टम (SWS) के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
- सोनपुर मंडल के द्वारा जारी विस्तृत अधिसूचना दिनांक 23.03.2025 का अवलोकन पूर्व मध्य रेल के अधिकृत वेबसाइट www.ecr.indianrailways.gov.in (click Division>Sonpur> personnel> Notification) के साथ ही मंडल रेल प्रबंधक/पूर्व मध्य रेल/सोनपुर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी अवलोकन किया जा सकता है।
- आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि 24.03.2025 है।



(रवि कुमार प्रडिप)
सहायक कार्मिक अधिकारी-III
कृते मरेप्र (कार्मिक)/सोनपुर